झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०– 04 / 2010 .... / राँची, दिनांक : ....

आदेश

श्री धनवीर झा, तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद (सेवानिवृत दिनांक– 31.08.2011) के विरूद्ध उक्त प्रमंडल में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0 1823 दिनांक 26.02.2014 द्वारा झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित थेः–

(i) फर्जी विपत्रों के माध्यम से बिना कार्य कराये सरकारी राशि का अनियमित समायोजन दिखाकर सरकारी राशि का गबन।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उक्त आरोप को प्रमाणित पाया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक– 2419 दिनांक–25.05.2017 द्वारा श्री झा के विरूद्ध "पेंशन से 10% की कटौती पाँच वर्षों के लिए " के दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया।

3. श्री धनवीर झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक् समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा का अस्वीकृत करते हुए आदेश सं०–4640 दिनांक– 01.11.2017 द्वारा पेंशन से 10% की कटौती पाँच वर्षों के लिए करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद सं०– 824 / 2018 (धनवीर झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक– 13.03.2019 को पारित न्याय निर्णय का Operative Part निम्नवत् है :–

> "Taking into consideration the aforesaid date i.e 26.02.2014, I find that the incident for which the proceeding has been initiated is more than 4 years old. This proceeding is thus barred by period of limitation prescribed under Proviso (a) (ii) of Rule 43 (b) of the Jharkhand Pension Rules.
>
> Since the proceeding initiated is beyond the period of limitation, the entire proceeding initiated under Rule 43 (b) as against the petitioner, pursuant to notice date 21.02.2011 including the impugned order dated 01.11.2017 bad and is liable to be quashed.
>
> The impugned order dated 01.11.2017 is quashed and set aside. The writ application stands allowed."

5. अतएव उक्त न्याय निर्णय के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया है :–

(i) श्री धनवीर झा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अधिरोपित दण्डादेश संख्या – 4640 दिनांक– 01.11.2017 को एतद द्वारा रद्द किया जाता है।

6. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3330 राँची/दिनांक 27/06/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निवारण कोषांग), झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र०) प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद/ श्री धनवीर झा, सेवानिवृत सहायक अभियंता, C/o श्री रामविनोद द्विवेदी, 63, ओल्ड एजी कॉलोनी कडरू, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/06/19

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव